□□□□ □□□□□

□□□ □त्रा□□□

(□□□□, **योग व प्राकृतिक चिकित्सा**, □□□□, **सिद्ध एवं होम्यो**□□□)

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न सं. 3212

12 □□□□, 2019 **को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

□□□ी □□□□□

3212. **श्री** □. □□□:

क्□ □□□□, □□□ □□ **प्राकृतिक** ि□ि□त्□, □□□□, **सिद्ध** □□ □□म्□□□□ (□□□) □त्री □□ □□□□□ी □□□ □□□ि□:

(□) क्□ ि□□□ □□□ □□ि □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ी फार्मासियों द्□□□ ि□म्□ □□□त्□ □□□ी □□□□□ी □□ ि□□□□ ि□□ □□□□□□□ज्□/□□ □ज्□ क्षेत्र-□□□ □□□□□□□□□ □ी □□□□□ी □ □□ □;

(□) □□□□ द्□□□ □□ □□□ □ क्□ □□□□□ □ी □□ □/□ी □□ □□ी □;□□

(□) क्□ □□□□ □□□ □□□ी □□□ि□□ी □□ □□□□□□□ि□□ □□□ □त्र ि□□ि□□ □□□□□ी □□□□ □□□ □□ी □□ □□ □ि□ □;□□ □त्□□□□ ब□□□ क्□ □?

<u>□त्□□</u>

<u>□□□ □ज्□ □त्री (स्□□त्र प्रभार) (श्री श्रीपाद येसो नाईक)</u>

(□) □□ (□): देश में बिक्री और वितरण हेतु औषधियों का विनिर्माण मुख्य□: □□ि□ □□□प्र□□□□ □□□ग्री अधिनियम, 1940 □□□ □□न्□□□ □□□□ □□ ि□□□□□□ी, 1945 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इस उद्देश्य □□ि□□, □□ि□□ □ज्□ सरकारों द्वारा नियुक्त औषध विनियामक प्राधिकारियों द्वारा औषध विनिर्माता इकाइयों को लाइसेंस देने और उनका निरीक्षण करने की एक प्रणाली औषधियों के गुणवत्ता ि□□त्र□ हेतु विद्यमान है। प्रत्ये□ लाइसेंसधारी औषध विनिर्माता इकाई को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री ि□□□□□□ी, 1945 □ □□ि□ि□ि□ष□ लाइसेंस की सभी शर्तों का अनुपालन करना होता है। चूंकि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री □ि□ि□□□, 1940 □□ □□न्□गत बनाई गई नियमावली में यथाविनिर्दिष्□ औषधियों के विधिक प्रावधानों का प्रवर्तन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, □□ि□□ □ज्□ अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे लाइसेंसों को किसी भी □□ □□ □ल्□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ि□□□□प्राप्त हैं जिनमें वित्ती□ □□ □□ □□□क□ न्□□□□□ □ अभियोजन शामिल हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान, आयुर्वेदीय, सिद्ध, □□□□ □□□□म्□□□□ □ी □□□ी □□□□ अवमानक औषधियों के राज्यवार सूचित किए गए मामलों का विवरण □□ग्□□ □ ि□□□ □□□ □□

(□): जाली फार्मासियों की जांच का तंत्र औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम व नियमावली में विनिर्दिष्□ किया गया है। केंद्रीय सरकार ने देश में औषधियों का प्रभावकारी गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विनियामक उपाय किए हैं:-

i. जाली और अवमानक औषधों के विनिमाण के लिए कठोर दंड देने हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री □ि□ि□□□, 1940 का संशोधन किया गया है जिनम कुछ विशेष संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराधों के ि□□ प्र□□□□ □□ □ि□□ □□

ii. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अंतगत वधित दंडों के आलोक म जाली □□□□ □□□□□□ □□□त□ वाली घोषित की गई औषधों के नमूनों पर कारवाई करने के लिए दिशा-निदश समान रूप से कायान्वयन हेतु राज्य औषध नियंत्रकों म परिचालित किए गए।

iii. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतगत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्या□□□ स□ि□□ □□□□□□□राज्यों/□□ □□ज□ क्षेत्रों से □□□□ ि□□□ □□□ ताकि उनका शीघ्र निपटान किया जा सके। जाली और अवमानक औषधों के मामलों पर सुनवाई के लिए 28 □□ज□ों द्वारा विशेष □□□□ि□□ न□□यालयों का स्था□□□ □ी □□ □□□□ □□ □□

iv. औषधियों के गुणवत्ता□क□ नियंत्रण हेतु क्षमता म सुधार करने के लिए विनियामक पदों की वृद्धि □ी □□ □□□□ □□ज□ प्रवतन तंत्र, फार्मासियों एवं औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने म सहायता प्र□□□ □ी □□ □□

v. औषधियों के विनिमाण हेतु लाइसस की विभिन्न □□श□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ि□□ □□ि□ □□□प्र□□□□ □□□ग्री ि□□□□□□ी, 1945 □ □□□□□ ि□□□ □□□ □□

[illegible] चार वर्षों में परीक्षण करके जाली अथवा अवमानक घोषित की गई एएसयू [illegible] एच औषधियों की राज्य/[illegible] क्षेत्रवार संख्या

[illegible]/[illegible] क्षेत्र	[illegible] परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा परीक्षित नमूने							
	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	परीक्षित	[illegible]/[illegible]	परीक्षित	[illegible]/[illegible]	परीक्षित	[illegible]/[illegible]	परीक्षित	[illegible]/[illegible]
[illegible]	-	-	91 [illegible]	[illegible]	145	[illegible]	80	[illegible]
[illegible]	319 [illegible]	4	146 [illegible]	-	115[illegible]	-	106[illegible]	-
[illegible]	-	-	715 [illegible], 48[illegible]	-	423[illegible], 9 [illegible]	-	-	-
[illegible]			75 [illegible]	--	149[illegible]	6	69[illegible]	1
दिल्ली	3000 [illegible], 1000 [illegible]	13 [illegible], 7 [illegible]	2048 [illegible], 100[illegible]	11 [illegible], 11[illegible]	600 [illegible], 200[illegible]	4[illegible], 1[illegible]		
[illegible]	-	-	10	-	1	-	-	-
[illegible]	322[illegible], 5[illegible]	10	267 [illegible], 58[illegible]	[illegible]	298 [illegible], 4[illegible]	[illegible]	110 [illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	748 [illegible]	53	577 [illegible]	61	94 [illegible]	4
[illegible]	-	-	-	-	33[illegible]	3	-	-
[illegible]	-	-	1071 [illegible], 87[illegible]	-	1026[illegible], 30[illegible]	-	-	-
[illegible]	297[illegible]	7	297[illegible]	5	578	25	724	9
महाराष्ट्र	-	-	350	-	320	-	-	-
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	--	-
[illegible]	15[illegible], 10[illegible]	[illegible]	15[illegible], 15[illegible]	[illegible]	11[illegible], 9[illegible]	[illegible]	5[illegible], 2[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	31	11	-	-	-	-
[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-
[illegible]	-	-	45	-	53	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	921 [illegible], 12[illegible]	119 [illegible], 3 [illegible]	715[illegible], 48[illegible]	99[illegible], 2[illegible]	423[illegible], 9[illegible]	55[illegible]	886[illegible]	69[illegible]
[illegible]	-	-	1809 [illegible]	128	1821	74	537	33
त्रि[illegible]	15[illegible]	-	67 [illegible]	--	200 [illegible], 1[illegible]	--	66[illegible], 132[illegible]	--
[illegible]	111 [illegible]	12	187 [illegible]	-	250 [illegible]	53	27 [illegible]	3
[illegible]	-	-	8	-	0	-	-	-

*प्र[illegible] संक्षिप्ति[illegible]: आयुर्वेदीय, [illegible]: सिद्ध, [illegible], [illegible]: [illegible], [illegible]: [illegible]

*****